



क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 1724/NOC-2321/2022

दिनांक 14.10.22

सेवा में,

श्री संजीव कुमार शर्मा पुत्र श्री प्रेम मुरारी शर्मा,
मै0 एस्सार आयल लि0,
ग्राम नगला शीशम, तहसील व जनपद हाथरस।

विषय:-खसरा संख्या-166/165, ग्राम नगला शीशम, तहसील व जनपद हाथरस पर रिटेल आउटलेट के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 14.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार उपरोक्त स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-1878/एनओसी-2321/15 दिनांक 06.07.2015 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 30.06.2016 तक मान्य थी। आप द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 14.10.2022 द्वारा रिटेल आउटलेट की वैधता अवधि 02 वर्ष बढ़ाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः आप द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.10.2022 के दृष्टिगत खसरा संख्या-166/165, ग्राम नगला शीशम, तहसील व जनपद हाथरस में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट के अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि दिनांक 31.10.2024 तक बढ़ा व समझा जाये। रिटेल आउटलेट स्थापना हेतु पूर्व में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में अधिरोपित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय

(डा० जे०पी० सिंह)

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

प्रतिलिपि-मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

(डा० चन्द्र प्रताप सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

लाखरस वन प्रभाग, हाथरस

13/10/2022